



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

(CIN: U74899DL1963PLC003913)

(ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004)

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर -335702

जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

मुख्यालय : बीज भवन, पुसा परिसर, नई -दिल्ली 110012

पत्रांक: के.रा.फा./जैत./10-9/कृषि/2015-16/

दिनांक: 09 फरवरी, 2016

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राज0) में रबी 2015-16 के दौरान की बीजाई की गई, जिसमें सरसों 687.9 है0, तोरिया 117.2 है0, चना 400.4 है0, तारामीरा 53.2 है0, सब्जीयाँ 81.2 है0 व अन्य बोई गयी फसलों की कटाई व कटाई से सम्बंधित कार्य हेतु चकवार सीलबन्द अल्पकालीन निविदायें दिनांक 18-फरवरी, 23-फरवरी व 26 फरवरी-2016, को सुबह 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष उसी दिन 2.30 बजे खोली जायेगी। सीलबंद अल्पकालीन निविदायें श्रीमान् निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर, जिला श्रीगंगानगर के नाम मय धरोहर राशि रू0 5,000/- (रुपये पांच हजार मात्र) प्रति चक व प्रति फसल का बैंक डिमान्ड-ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक बाजूवाला पर देय हो, धरोहर राशि के रुप में निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा। असफल निविदादाता की राशि बैंक द्वारा लौटा दी जायेगी। सफल निविदा दाताओं की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने के बाद लौटाई जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निविदा संबंधी जानकारी तथा नियम एंवम शर्तें किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे ली जा सकती हैं व निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती हैं। अल्पकालीन निविदा फार्म रुपये 100.00 जमा कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में सांय 4.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

प्रबन्धक (उत्पादन)

कृते निदेशक

रबी फसलों की कटाई एवं गहाई की नियम व शर्तें
(सरसों एवं तोरिया के लिए)

1. प्रत्येक निविदादाता को निविदा में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक चक के लिए रू0 5000/- (रू0 पांच हजार मात्र) धरोहर राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट जमा करना होगा।
2. निविदा सूचना में वर्णित फसलों की हाथ से कटाई करना, कटी फसल को सूखने पर एकत्र कर बड़े-बड़े ढेर/मण्डली लगाना। मण्डली के स्थान की सफाई करके ही मण्डली लगानी है। ठेकेदार को अपने निजी थ्रेसर से अपने मजदूर लगाकर गहाई कार्य कराना होगा व दाना फार्म के साधन में लोड करना होगा।
3. प्रत्येक चक की निविदा अलग-अलग चकवार करायी जायेगी।
4. नकद राशि के अधार पर चक की निविदा स्वीकृत होते ही तुरन्त समस्त राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा होने पर कार्य आदेश जारी किया जायेगा। शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करने के बाद ही नीरा/पल्लर उठाने की अनुमति दी जायेगी।
5. प्रत्येक चक की फसल की, सम्बंधित चक प्रभारी एवं खण्ड प्रभारी की देख-रेख व दिशा निर्देश के अनुसार ही, कटाई व गहाई का कार्य करना होगा।
6. गहाई (थ्रेसिंग) की गयी फसल का नीरा पूर्णतया दाना रहित होना चाहिए तथा उसका बकाया पूरा पैसा जमा होने पर ही गेट-पास जारी कर नीरा-गुणा ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
7. प्रत्येक मुरब्बे में फसल कटाई/गहाई का कार्य फसल के परिपक्व अवस्था में आने पर शीघ्र ही पूरा करना होगा।
8. जिस मुरब्बे में गहाई का कार्य पूरा हो जायेगा, उस मुरब्बे से तूड़ी, नीरा, पल्लर को सात दिन में हर हालत में उठाना होगा, अन्यथा खरीफ फसलों की बुवाई के लिए पलेवा समय पर करवाने के लिए नीरा, तूड़ी पल्लर को जला दिया जायेगा। जिसके नुकसान की पूरी जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
9. किसी भी ठेकेदार द्वारा फार्म की फसलों को या फार्म की सम्पत्ति को अगर नुकसान पहुँचाया जाता है अथवा ठेके के कार्य में विलम्ब होता है तो उस ठेकेदार का ठेका रद्द कर उसके द्वारा जमा राशि तथा तूड़ी, नीरा पल्लर जब्त लिया जायेगा।
10. ठेकेदार को समस्त कार्य सन्तोषजनक ढंग से पूरा करने के बाद ही उसकी जमा धरोहर राशि वापस की जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
11. यदि कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष-सह-निदेशक को संदर्भित किया जाएगा, जिनको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्बिट्रेटर) के द्वारा विवाद का निपटॉन आर्बिट्रेशन एण्ड कानसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराएँ/ पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बिट्रेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।
12. आर्बिट्रेशन एण्ड कानसिलिएशन के उपरांत भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म की परिधि से सम्बंधित होगा।

02/11/16
प्रबन्धक(उत्पादन)
कृते निदेशक

रबी फसलों की कटाई एवं गहाई की नियम व शर्तें
(चना, तारामीरा व अन्य फसलों के लिए)

1. प्रत्येक निविदादाता को निविदा में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक चक के लिए ₹0 5000/- (₹0 पांच हजार मात्र) धरोहर राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट जमा करना होगा। प्रत्येक चक की निविदा अलग-अलग चकवार करवाई जायेगी।
2. प्रत्येक मुरब्बे में फसल कटाई/गहाई का कार्य फसल के परिपक्व अवस्था में आने पर शीघ्र ही पूरा करना होगा।
3. निविदा सूचना में वर्णित फसलों की हाथ से कटाई करना, कटी फसल को सूखने पर एकत्र कर बड़े-बड़े ढेर/मण्डली लगाना। मण्डली के स्थान की सफाई करके ही मण्डली लगानी है। ठेकेदार को फार्म द्वारा उपलब्ध कम्बाईन से अपने मजदूर लगाकर गहाई व खलिहान सफाई का कार्य करना होगा व दाना फार्म के साधन में लोड करना होगा।
4. प्रत्येक चक की निविदा अलग-अलग चकवार करायी जायेगी।
5. कटाई व गहाई का कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने के बाद ही नीरा/पल्लर दाना रहित होने पर ही उठाने की अनुमति दी जायेगी।
6. प्रत्येक चक की फसल की, सम्बंधित चक प्रभारी एवं खण्ड प्रभारी की देख-रेख व दिशा निर्देश के अनुसार ही, कटाई व गहाई का कार्य करना होगा।
7. जिस मुरब्बे में गहाई का कार्य पूरा हो जायेगा, उस मुरब्बे से तूड़ी, नीरा, पल्लर सात दिन में हर हालत में उठाना होगा, अन्यथा खरीफ फसलों की बुवाई के लिए पलेवा समय पर करवाने के लिए नीरा, तूड़ी पल्लर को जला दिया जायेगा। जिसके नुकसान की पूरी जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
8. किसी भी ठेकेदार द्वारा फार्म की फसलों को या फार्म की सम्पत्ति को अगर नुकसान पहुँचाया जाता है अथवा ठेके के कार्य में विलम्ब होता है तो उस ठेकेदार का ठेका रद्द कर उसके द्वारा देय बिल धन राशि तथा तूड़ी, नीरा पल्लर जब्त लिया जायेगा।
9. यदि कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष-सह-निदेशक को संदर्भित किया जाएगा, जिनको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्बिट्रेटर) के द्वारा विवाद का निपटॉन आर्बिट्रेशन एण्ड कानसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराएं/ पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बिट्रेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।
10. आर्बिट्रेशन एण्ड कानसिलिएशन के उपरांत भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म की परिधि से सम्बंधित होगा।

09/11/16
प्रबन्धक(उत्पादन)
कृते निदेशक